

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना

सूरजपुर, दिनांक 13/04/2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/16-17 :: चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-


-:: अनुसूची ::-

| भूमि का प्रकार | | | | | धारा-12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|----------------|------------|---------------------|-----------|---------------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम/ प.ह.नं. | खसरा नंबर | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सूरजपुर | रामानुजनगर | पण्डरी प.ह.नं. 3 | 587 | 0.044 | कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग-सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) | गुडघेला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन |
| | | | 586 | 0.032 | | |
| | | | 530 | 0.064 | | |
| | | | 534 | 0.040 | | |
| | | | 99/1 | 0.096 | | |
| | | | 92/1 | 0.092 | | |
| | | | 505/2 | 0.044 | | |
| | | | 536 | 0.024 | | |
| | | | 88/2 | 0.012 | | |
| | | | 89 | 0.004 | | |
| | | | 86 | 0.032 | | |
| | | | 87 | 0.068 | | |
| | | | 83 | 0.004 | | |
| | | | 84 | 0.032 | | |
| | | | 505/3 | 0.012 | | |
| | | | 564/2 | 0.008 | | |
| | | | 535 | 0.064 | | |
| 529/1 | 0.116 | | | | | |
| 91/2 | 0.028 | | | | | |
| 93/1 | 0.064 | | | | | |
| 546 | 0.084 | | | | | |
| | | योग :- | 21 | 0.964 | | |


2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (संख्या 30 सन् 2013) के अध्याय दो एवं तीन के प्रावधानों के तहत सिंचाई परियोजनाओं की बावत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर, जिला-सूरजपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया है।


भू-अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जी.आर.चुरेन्द्र)
कलेक्टर,

जिला-सूरजपुर

एवं पदेन संयुक्त सचिव

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग